



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072026-274589
CG-DL-E-17072026-274589

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3772]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2026/आषाढ 26, 1948

No. 3772]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2026/ASHADHA 26, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2026

(आयकर)

सं. 89/ 2026-सीबीडीटी

का.आ. 3936(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 2(112) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 2026 के नियम 7(5)(ख), (ग) और 7(8) के साथ पठित, केंद्र सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 2(112) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित ब्यौरे वाले बांड को जीरो कूपन बांड के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, यथा-

(क)	बांड का नाम	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक का दस वर्षीय जीरो कूपन बॉण्ड
(ख)	बांड की समय अवधि	दस वर्ष

(ग)	बांड जारी करने की समय सारिणी	31 मार्च, 2028 को या उससे पहले जारी किया जाएगा
(घ)	बांड की परिपक्वता या मोचन पर भुगतान की जाने वाली राशि	बीस हजार करोड़ रुपये।
(ङ)	छूट	दस हजार दो सौ छियानवे करोड़ बारह लाख रुपये।
(च)	जारी किए जाने वाले बांडों की संख्या	बीस लाख

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक आयकर अधिनियम, 2025 और आयकर नियम, 2026 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

[सं. 89 /2026/फा. सं.164/1/2026-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2026

(INCOME TAX)

No. 89 of 2026-CBDT

S.O. 3936(E).— In exercise of the powers conferred by section 2(112) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) read with rules 7(5)(b), (c) and 7(8) of the Income-tax Rules, 2026, the Central Government hereby specifies the bond with the following particulars as zero coupon bond for the purposes of section 2(112) of the said Act, namely :-

(a)	Name of the bond	Ten Year Zero Coupon Bond of the National Bank for Financing Infrastructure and Development
(b)	Period of life of the bond	Ten years
(c)	The time schedule for issue of the bond	To be issued on or before the 31st day of March, 2028
(d)	The amount to be paid on maturity or redemption of the bond	Twenty thousand crore rupees.
(e)	The discount	Ten thousand two hundred and eighty six crore twelve lakh rupees.
(f)	The number of bonds to be issued	Twenty lakh

2. This notification shall be effective subject to the conditions that the National Bank for Financing Infrastructure and Development fulfills the conditions as specified in the Income-tax Act, 2025 and Income-tax Rules, 2026.

[No. 89/2026/F. No. 164/1/2026-ITA-1]

HARDEV SINGH, Under Secy.